

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल

ऑफिस कॉम्प्लेक्स प्रथम तल ब्लॉक-A एकात्म पथ,सेक्टर-24 अटल नगर, रायपुर (छ0ग0)


ईमेल- secretaryboc@gmail.com, phone No. 0771-2971063

// अधिसूचना //

अटल नगर, दिनांक 09/10/2020

क्रमांक / 37 / 04 / योजना / बीओसी / 2020 /107.....छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 सहपठित छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तों का विनियमन) नियम 2008 के नियम 277 तथा 279 में दी गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए जारी अधिसूचना क्रमांक 33 नया रायपुर, दिनांक 06.01.2014 एवं क्रमांक 56 दिनांक 23.09.2017 द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए संचालित "निर्माण महिला मजदूर स्व-सहायता योजना" को इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से समाप्त किया जाता है।

(छ0ग0 शासन श्रम विभाग द्वारा अनुमोदित)


(राजेश कुमार पात्रे)
सचिव

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मंडल, अटल नगर

पृ0क्रमांक / 37 / 04 / योजना / बीओसी / 2020 / 2261-2276 अटल नगर, दिनांक 09/10/2020
प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक, माननीय श्रम मंत्रीजी, छ0ग0 शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला-रायपुर (छ0ग0)।
2. निज सहायक, माननीय अध्यक्ष, छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल (श्रम विभाग) मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला-रायपुर (छ0ग0)।
3. निज सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला-रायपुर (छ0ग0)।
4. श्रमायुक्त, श्रमायुक्त कार्यालय, इन्द्रावती भवन, द्वितीय तल, खण्ड-03, नवा रायपुर, अटल नगर जिला-रायपुर (छ0ग0)।
5. समस्त जिला कलेक्टर,(छ0ग0)।
6. समस्त सहायक श्रमायुक्त / श्रम पदाधिकारी / सहायक श्रम पदाधिकारी कार्यालय(छ0ग0)।
7. प्रभारी अधिकारी, छ0ग0 असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल इन्द्रावती भवन, द्वितीय तल, खण्ड-03, नवा रायपुर, अटल नगर जिला-रायपुर (छ0ग0)।

8. संचालक, संचालनालय, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला-रायपुर (छ0ग0)।
9. समस्त उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा कार्यालय(छ0ग0)।
10. कल्याण आयुक्त, छ0ग0 श्रम कल्याण मंडल, प्रवीण भवन 31/520, न्यू शांति नगर, रायपुर (छ0ग0)।
11. संचालक, संचालनालय, कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला-रायपुर (छ0ग0)।
12. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर उपरोक्त अधिसूचना जन सामान्य के सूचनार्थ समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
13. उप संचालक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, खैरागढ़ रोड़, राजनांदगांव (छ0ग0) की ओर आगामी राजपत्र में प्रकाशित किए जाने हेतु प्रेषित कर लेख है कि कृपया प्रकाशित राजपत्र की 50 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
14. लेखा शाखा, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल नवा रायपुर, अटल नगर, (छ0ग0)।
15. एन0आई0सी0 शाखा, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0) की ओर तत्काल वेब साईट में अपलोड करने बाबत्।
16. गार्ड फाईल।


सचिव

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मंडल, अटल नगर

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल
माता गैरेज के पीछे, जयभोले काम्प्लेक्स के सामने, पंडरी रायपुर
अधिसूचना

दिनांक 06/01/14

क्रमांक 53 "भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996" सहपठित "छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तों का विनियमन) नियम 2008" के नियम 277 तथा 279 में दी गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए "छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल" एतद् द्वारा "छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल" के हितग्राहियों के लिए निम्नानुसार योजना बनाती है :-

(अ) योजना का नाम :-

(i) योजना का नाम "निर्माण महिला मजदूर स्व-सहायता योजना" होगा।

(ब) योजना का उद्देश्य-

(i) इस योजना का मुख्य उद्देश्य निर्माण कार्य से जुड़े महिला मजदूरों को आत्मनिर्भर बनाने एवं "मुख्यमंत्री सिलाई मशीन सहायता योजना" के तहत महिला श्रमिकों को प्रदाय किए गए सिलाई मशीनों की वास्तविक उपयोगिता के दृष्टिकोण से प्रत्येक जिलों में स्व-सहायता समूह बनाया जाकर महिलाओं को सिलाई, कढ़ाई का प्रशिक्षण दिया जाना एवं प्रशिक्षण उपरांत व्यवसायिक दृष्टिकोण से सुदृढ़ बनाना है।

(स) योजना हेतु पात्रता :-

(i) योजना के तहत प्रदेश के किसी भी जिले में पंजीकृत निर्माण महिला श्रमिक जिसे "मुख्यमंत्री सिलाई मशीन सहायता योजना" के तहत सिलाई मशीन प्राप्त हो एवं निर्माण महिला मजदूर स्व-सहायता योजना की शर्तों का पालन करें, उसे इस योजना के लाभ की पात्रता होगी।



(फ) विसंगति का निराकरण-

योजना में उल्लेखित शर्तों/नियमों के अतिरिक्त यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है, उस स्थिति में सचिव, "छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल" का निर्णय अंतिम माना जावेगा।

(छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग द्वारा अनुमोदित)



(सविता मिश्रा)

सचिव

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मंडल, रायपुर

पृष्ठांकन क्र० 133/1888-1898A

रायपुर, दिनांक 06/01/14

प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)
2. निज सहायक, अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)
3. सचिव सह श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय रायपुर (छ0ग0)
4. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)
5. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)
6. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, रायपुर (छ0ग0)
7. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मण्डल रायपुर (छ0ग0)
8. कलेक्टर, जिला समस्त (छ0ग0)
9. श्रमायुक्त कार्यालय के उप श्रमायुक्त, रायपुर (छ0ग0)
10. सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/प्रभारी श्रम पदाधिकारी समस्त (छ0ग0)
11. उप संचालक/प्रभारी उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा समस्त (छ0ग0)